UPGK010012722026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2438/2026

गुड्डू उर्फ शमशाद पुत्र हमीद, उम्र लगभग 36 वर्ष,
निवासी- बंजरिया, थाना- बखिरा, जिला- सन्त कबीर नगर।

------आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ----प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 348/2025,
धारा- 305, 331(4), 111 (4) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- सिकरीगंज, जनपद- गोरखपुर।

10.06.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त गुड्डू उर्फ शमशाद, जो अपराध संख्या- 348/2025, धारा- 305, 331(4), 111(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना- सिकरीगंज, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार अज्ञात चोर प्रथम सूचनाकर्ता शिवा जीत सिंह के घर का चैनल का ताला तोड़कर अन्दर पहुॅच कर आलमारी का ताला तोड़कर आलमारी में रखा तीन लाख, पचास हजार रूपये नकद, एक अदद चैन, अंगूठी सात नग, एक जोड़ी झाला, जो सोने का था, उठा ले गये। दौरान विवेचना दिनांक 10.09.2025 को आवेदक/अभियुक्तगण सह-अभियुक्तगण इरफान, सोनू, चॉद अली उर्फ तौफिक व भीम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता प्रकाश में आयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/ अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उन्हें इस मामले में लिप्त किया गया है। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त काफी समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त

कथित चोरी के अपराध में संलिप्त थे। आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में किया जाता है।आवेदक/अभियुक्त के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। अतएवं मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है और न ही उसे मौके से गिरफ्तार किया जाना कथित है। आवेदक/अभियुक्त की अभिरक्षा से चोरी की पीली धातु बरामद होना कहा गया है, परन्तु कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त को काफी समय से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदक/अभियुक्त गुड्डू उर्फ शमशाद का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 50,000/- रूपये के स्व बन्ध-पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए :-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा

2- आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा

3- आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,

5- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
10 जून, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.10 15:47:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court